# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

# कार्यवृत्त

## विद्या परिषद् की 61वीं बैठक

दिनांक

**12 मार्च, 2020**

स्थान

**बृहस्पति भवन**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

## विद्या परिषद् की 61वीं बैठक

## कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 61वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

| | |
|---|---|
| 1. प्रो. आर.पी.सिंह, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन | सदस्य |
| 3. प्रो. मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन | सदस्य |
| 4. प्रो. बी.पी. सारस्वत, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य | सदस्य |
| 5. प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स | सदस्य |
| 6. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन | सदस्य |
| 7. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण | सदस्य |
| 8. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र | सदस्य |
| 9. प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र | सदस्य |
| 10.प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस | सदस्य |
| 11.प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान | सदस्य |
| 12.प्रो. प्रवीण माथुर, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन | सदस्य |
| 13.प्रो. अरविन्द पारीक, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र | सदस्य |
| 14.प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र | सदस्य |
| 15.प्रो. नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष-शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर | सदस्य |
| 16.डॉ. दलेला, संकायाध्यक्ष-कला संकाय | सदस्य |
| 17.डॉ. गीतान्जलि वर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय | सदस्य |
| 18.डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय | सदस्य |
| 19.डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर | सदस्य |
| 20.कुलसचिव | सदस्य-सचिव |

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः-

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर । सदस्य
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर । सदस्य
3. मोहम्मद इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक सदस्य
4. प्रो. दीपक भटनागर, विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान विभाग, जयपुर सदस्य
5. प्रो. बी.एल. वर्मा, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महा. उदयपुर । सदस्य
6. प्रो. रवि सक्सैना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर । सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय की प्रगति में सभी से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा की । तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

| मद | विवरण | अनुभाग/ विभाग |
|---|---|---|
| मद सं0 1 | विद्या परिषद् की दिनांक 26.11.2019 को सम्पन्न हुई 60वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।<br>उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (60) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2019/20430-53 दिनांक 06.12.2019 को प्रेषित की गई । | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | **कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेषण के साथ की गयी कि निर्णय संख्या 01 में अंकित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर में बी.ए.-बी.एड./बी.एससी. -बी.एड. एवं बी.एड., एम.एड. कोर्स में Semester (CBCS) Choice Based Credit System को लागू नहीं नही किया जाकर स्नातकोत्तर स्तर पर लागू किया जाए ।** | |
| मद सं0 2 | विश्वविद्यालय के आगामी सत्र 2020-21 की परीक्षाओ से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करना । | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | **सत्र 2020-21 से समस्त संकायों में स्नातकोत्तर स्तर पर (CBCS) Choice Based Credit System को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रो. आशीष भटनागर एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यो को इसकी मॉनीटरिंग करने हेतु अधिकृत किया गया साथ ही प्रो. आशीष भटनागर को (CBCS) Choice Based Credit System पर सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं0 3 | विश्वविद्यालय परिसर में बी.फार्मा/डी.फार्मा कोर्स प्रारम्भ करना । | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । | |
| मद सं0 4 | परीक्षा सलाहकार समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन करना । | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | परीक्षा सलाहकार समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया साथ ही भविष्य में बनाये जाने वाले परीक्षा केन्द्रो के संबंध में महिला परीक्षार्थियों की संख्या का आंकलन करने के उपरान्त परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रो. मनोज कुमार को इंसपेक्टर नियुक्त किया गया । | |
| मद सं0 5 | एम.एससी फिजिक्स एवं एम.एससी. मैथ्स के पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2020-21 से प्रारम्भ करना । | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । | |
| मद सं0 6 | विश्वविद्यालय में आगामी सत्र की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पर विचार करना एवं प्रवेश संबंधी विज्ञप्ति जारी करने हेतु तिथि तय करना तथा ऐकेडमिक कलैण्डर का निर्धारण करना । | शैक्षणिक-II |
| निर्णय | **प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गयाः-**<br>**1. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर**<br>**2. प्रो. नगेन्द्र सिंह**<br>**3. प्रो. अरविन्द पारीक**<br>**4. डॉ. विभा शर्मा-संकायाध्यक्ष-विधि संकाय**<br>**5. ए.सी.पी.**<br>**6. कुलसचिव - सदस्य सचिव**<br>**उक्त समिति अतिशीघ्र बैठक आयोजित कर अपनी अनुशंषाएं माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित करेंगी ।** | |
| मद सं0 7 | टैगोर लॉ कॉलेज, कुचामन सिटी से प्राप्त पत्रांक 303 दिनांक 28.12.2018 में बी.ए.-एल.एल.बी. एवं बी.एससी.-एल.एल.बी. पाठ्यक्रम हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता शुल्क रूप्ये 3,00,000/- मय निरीक्षण शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाए है, जबकि सम्बद्धता शुल्क के संबंध में विश्श्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 14 (51) | शैक्षणिक-II |

| | | |
|---|---|---|
| | शैक्ष-II/मदसविवि/2015/26163-462 दिनांक 28.07.2015 में उक्त पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता शुल्क निर्धारित नहीं है । अतः उक्त क्रम में सम्बद्धता शुल्क निर्धारण हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **राशि रूपये 1.50 लाख सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं0 8 | राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के बिन्दु संख्या 10- **"स्कूल या महाविद्यालयों का फीस सदाय करने का दायी न होगा । नियम 5 और नियम 6 में वर्णित स्वतंत्रता सैनानियों एवं शहिदों के बच्चों और पौत्र-पोत्रियों को स्कूल और महाविद्यालय में किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पडेगी ।"**<br>राज्य सरकार ग्रुप-VI द्वारा जारी नियमों की प्रति संलग्न कर उक्त नियम विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | **शैक्षणिक-II** |
| निर्णय | **स्वतंत्रता सैनानियों के जीवित रहने तक ही उनके आश्रितों के विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शुल्क माफ किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं0 9 | ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा जारी हैंडबुक के पृष्ठ संख्या 123 (परिशिष्ट-1) में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की अध्यापन अवधि 02 वर्ष कर दी गई है । अतः म.द.स. विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साईंस विभाग में 03 वर्षीय एम.सी.ए. पाठ्यक्रम जो कि ए.आई.सी.टी.ई के नियमानुसार संचालित है, की अध्यापन अवधि को 02 वर्ष किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | **कम्प्यूटर साईंस विभाग** |
| निर्णय | **प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।** | |
| मद सं0 10 | ए.आई.सी.टी.इ. नइ दिल्ली द्वारा जारी हैण्डबुक के पृष्ठ संख्या 102 (परिशिष्ट-2) में यह उल्लेख किया है कि- "The Council shall not permit the Introduction or Continuation of Lateral Entry | |

| | | |
|---|---|---|
| | Separate Division in Second year Engineering and Technology/MCA Courses." उक्त उल्लेख के आधार पर एम.सी. ए.लेट्रल एण्ट्री सत्र 2020-21 से बंद करने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।** | |
| मद सं0 11 | महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर में योग विज्ञान एवं मानवीय चेतना विभाग गत 21 वर्षो से स्थापित है । जिसमें निम्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे है:-<br>1. योग अध्ययन एवं चिकित्सा प्रबन्ध में स्नातकोत्तर (2-वर्षीय) सत्र 2014-15 से ।<br>2. स्नातक (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) (3-वर्षीय) सत्र 2005-06 से ।<br>3. योग शिक्षा एवं मानवीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1-वर्षीय) सत्र 1997-98 से ।<br>4. योग प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र (3 माह) सत्र 1997-98 से ।<br>उक्त पाठ्यक्रमों में अध्यापन हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) बेंगलुरू के मध्य हुए इकरार के अनुसार इस विभाग में दो योग प्रशिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं क्योंकि विभाग में उत्तरोतर प्रगति के साथ ही नए स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित है जिनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताधारी/पात्रता रखने वाले शिक्षक ही शिक्षण का कार्य कर सकते है अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई उपाधियां मान्य नहीं होंगी ।<br><br>उक्त क्रम में म.द.स.विश्वविद्यालय को वर्ष 2010 में ही दोनो योग प्रशिक्षकों के पदनाम परिवर्तन के कार्यालय आदेश ADM/VYASA/98-B/09-10/100/12/2014 Date 29 Jan. 2010 and ADM/VYASA/98-A/09-10/100/12/2014 Date 29 Jan. 2010 माननीय कुलपति व कुलसचिव महोदय को प्राप्त हो गए थे । (परिशिष्ठ- ए व बी)<br><br>अतः अध्यापनरत दोनों योग प्रशिक्षकों का पदनाम योग प्रशिक्षक से सहायक | |

| | | |
|---|---|---|
| | आचार्य/प्राध्यापक संशोधित करते हुए तथा साथ ही नए इकरारनामे में भी योग प्रशिक्षक के स्थान पर सहायक आचार्य/प्राध्यापक संशोधित किए जाने पर विचार करना जिससे छात्रों के अध्यापन एवं उपाधियों के साथ न्यायोचित कार्य हो सके । | |
| निर्णय | **प्रो. शिव दयाल सिंह को सम्पूर्ण तथ्यों एवं जानकारी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने हेतु अधिकृत किया गया ।** | |
| मद सं0 12 | Deptt. of Journalism & Mass Communication का नाम परिवर्तित कर Centre for Journalism, Mass Communication & Multi-media technique करना । | |
| निर्णय | **Deptt. of Journalism & Mass Communication** का नाम परिवर्तित कर **Kaptan Durga Prasad Choudhary Deptt. for Journalism, Mass Communication & Multi-media technique** किये जाने का निर्णय लिया गया । | |
| मद सं0 13 | प्रैक्टिकल विषय में सिर्फ नियमित विद्यार्थियों को ही प्रवेश देने बाबत् । | |
| निर्णय | **सत्र 2020-21 से समस्त संकायों में प्रायोगिक विषयों में सिर्फ नियमित विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं0 17 | विश्वविद्यालय में संचालित जनसंख्या अध्ययन विभाग बन्द करना तथा प्रबन्ध अध्ययन संकाय में नए विषय प्रारम्भ करना यथा MBA Service Management, Executive Management. | |
| निर्णय | MBA Service Management, Executive Management & Master of Tourism & Travel Management पाठ्यक्रम को सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया । | |
| मद सं0 18 | CESBM में सीटों की संख्या बढ़ाना तथा Skill University, Jaipur से नए पाठ्यक्रमों का एम.ओ.यू. करना । | |

| | | |
|---|---|---|
| निर्णय | **प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।** | |
| मद सं0 19 | विश्वविद्यालय परिसर में बी.सी.ए. ऑनर्स, पी.जी.डी.सी.ए. की 50 सीटों के साथ नए पाठ्यक्रम चलाना । | |
| निर्णय | **प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।** | |
| मद सं. 21 | समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना । | |
| निर्णय | **अनुमोदन किया गया ।** | |
| मद सं. 22 | गत पांच या उससे अधिक वर्षो से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार करना । | |
| निर्णय | **ऐसे राजकीय महाविद्यालय जिनको 05 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् जिनकी प्रास्थितिया विश्वविद्यालय अधिनियम तथा सम्बद्धता नियमों के अनुरूप है तथा वे स्थाई महाविद्यालय की योग्यता एवं पात्रता रखते है, तो ऐसे महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।** | |
| मद सं. 23 | विश्वविद्यालय परिसर में संचालित कोर्सेज में आवश्यकतानुसार सीटे एवं शुल्क बढाने पर विचार करना । | |
| निर्णय | **एम.एससी बोटनी, जूलोजी एवं केमेस्ट्री विषय में 20 सीटे नियमित छात्रों हेतु एवं 20 सीटें स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया ।** | |
| मद सं. 24 | ऐसे विभाग जहां प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या आशानुरूप नहीं हे, उनके बारे में विचार-विमर्श करना । | |
| निर्णय | **शैक्षणिक कलैण्डर को प्रवृत्त करते हुए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रवेश प्रक्रिया को निर्धारित समय पर प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं. 25 | उक्त निर्णयों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये:-<br>1. सत्र 2020-21 से सामान्य अंग्रेजी विषय में सब्जेक्टिव पाठ्यक्रम बनाने हेतु संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड के संयोजक को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया ।<br>2. शिक्षक भर्ती हेतु कक्षा दसवीं से लेकर पी.जी. तक 55 प्रतिशत उर्त्तीण करने वाले को **Good Academic Record** की श्रेणी में माना जाने का निर्णय लिया गया । | |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव